पत्र संख्या–1ए/नोट–18/2021– 1414 /जे0,
**झारखण्ड सरकार,**
**विधि विभाग,**
**झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–834004**

शीघ्र

प्रेषक,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

आवक सं० 789 दिनांक 9/7/24
प्रशासनिक विभाग
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गोड्डा

सेवा में,

न्यायायुक्त,राँची/
सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
सभी न्यायालय या न्यायाधीकरण के पीठासीन पदाधिकारी,
झारखण्ड ।

राँची, दिनांक– 24/06/ 2024.

विषयः– झारखण्ड राज्य के सभी जिले/अनुमंडलों के व्यवहार न्यायालयों में नोटरियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाने के संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपके व्यवहार न्यायालय में व्यवसायरत विधि व्यवसायी के आवेदन को अंतिम तिथि **–30.07.2024** तक प्राप्त कर विधि विभाग, झारखण्ड सरकार को अपने मंतव्य के साथ दिनांक–**02.08.2024** तक अवश्य प्राप्त कराना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

2. अनुरोध है कि विज्ञापन की प्रति कार्यालय सूचना–पट पर लगवाना तथा अधीनस्थ अधिवक्ता संघ को विज्ञापन की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनके सूचना–पट पर लगवाना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 21/06/24
(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

Seen, Send a copy to the Judge-in-charge Civil Court, Godda and also a copy to the Secretary, District Bar Association Godda for its display on the notice board of Civil Court, Godda and in the notice board of District Bar Association, Godda and information to all concerned and needful.

(Signature) 09.07.24
P.D.J. Godda
09-07-2024

Seen, display it on the notice board.

(Signature) 9.7.24.
Judge in-charge
09/07/24

# झारखण्ड सरकार,
# विधि विभाग,
# झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची–834004.

**–::विज्ञापन::–**

**विज्ञापन संख्या–01/2024**

**(विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में लेख्य प्रमाणकों की नियुक्ति)**

नोटरी नियमावली, 1956 के नियम–3 के प्रावधानों के निहित राज्य सरकार द्वारा राज्य के व्यवहार न्यायालयों में झारखण्ड राज्य बार काउंसिल/सभी जिला अधिवक्ता संघ से पंजीकृत विधि व्यवसायी को राज्य के लेख्य प्रमाणकों के स्वीकृत पद के विरूद्ध लेख्य प्रमाणकों के रिक्त पदों पर विहित प्रपत्रों में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2. जिला/अनुमंडलवार रिक्त पदों का विवरण :–

| कमांक | जिला/अनुमंडल का नाम | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 |
| 1 | बोकारो | 06 |
| 2 | तेनुघाट | 01 |
| 3 | कोडरमा | 06 |
| 4 | चतरा | 04 |
| 5 | दुमका | 04 |
| 6 | गोड्डा | 09 |
| 7 | गिरिडीह | 05 |
| 8 | जामताड़ा | 02 |
| 9 | साहेबगंज | 05 |
| 10 | पाकुड़ | 02 |
| 11 | देवघर | 04 |
| 12 | धनबाद | 11 |
| 13 | लोहरदगा | 09 |
| 14 | सिमडेगा | 05 |
| 15 | गुमला | 07 |
| 16 | जमशेदपुर | 09 |
| 17 | घाटशिला | 01 |
| 18 | सरायकेला–खरसावाँ | 02 |
| 19 | चाईबासा–चकधरपुर | 04 |
| 20 | लातेहार | 02 |
| 21 | पलामू | 05 |
| 22 | गढ़वा | 05 |
| 23 | राँची | 04 |
| 24 | खूँटी | 02 |
| 25 | हजारीबाग | 04 |
| 26 | रामगढ़ | 02 |
| | कुल | 120 |

(कृ0पृ0उ0......2)

3. **<u>वांछित योग्यता</u>**:– नोटरी नियमावली, 1956 के नियम–3 के प्रावधानों के अंतर्गत अहर्त्ता प्राप्त विधि व्यवसायी द्वारा लेख्य प्रमाणकों के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित अहर्त्ताऍ आवश्यक है :–

   (क) न्यूनतम 10(दस) वर्षों का विधि व्यवसाय ।
   (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 07(सात) वर्षों का विधि व्यवसाय।
   (ग) महिलाओं के लिए 07(सात) वर्षों का विधि व्यवसाय।

4. जिस जिला में रिक्ति हेतु पद विज्ञापित है, उस जिले में व्यवसायरत विधि व्यवसायी को प्राथमिकता दी जाएगी ।

5. नोटरी नियमावली, 1956 के नियम–3 में वांछित योग्यता अर्थात् विधि व्यवसायी की अवधि की आवश्यक अहर्त्ता (अनारक्षित के लिए 10 (दस) वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला के लिए 07 (सात) वर्ष ) के उपर प्रति वर्ष अनुभव के लिए 01 (एक) अंक दिया जायेगा एवं अधिकतम अंक पानेवाले आवेदक के ही नामों की अनुशंसा की जाएगी । अनुभव का वर्ष समान रहने पर माह एवं दिनों की संख्या में जिनका अनुभव ज्यादा होगा, उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।

6. सभी बिन्दुओं पर समान होने की स्थिति में उम्र में वरीय आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

7. **<u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त्त एवं निर्देश</u>** :–

   (क) कंडिका–2 के स्तम्भ–2 में उल्लेखित जिलों में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता रिक्त पदों के विरूद्ध नोटरीज नियमावली, 1956 के कंडिका–4 के प्रावधानों के आलोक में संबंधित जिलों के न्यायायुक्त/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पीठासीन पदाधिकारी (न्यायालय/न्यायाधिकरण) के कार्यालय के माध्यम से सचिव–सह–विधि परामर्शी, झारखण्ड सरकार, राँची को आवेदन करेंगे । विधि विभाग में सीधे भेजे गये आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

   (ख) निम्नांकित वांछित प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न किया जाय :

   (i) मैट्रिक या समकक्ष का प्रमाण पत्र।
   (ii) विधि स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र।
   (iii) विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र
   (iv) जाति प्रमाण पत्र (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति की स्थिति में)

   (ग) प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ही प्राप्त अभ्यावेदन विचारणीय होगा। विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व प्राप्त सभी आवेदनों को स्वतः रद्द समझा जाएगा।

8. नोटरीज अधिनियम, नोटरी नियमावली के अंतर्गत प्रावधान, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश यथावत् लागू रहेंगे ।

9. **<u>नियुक्ति शुल्क</u>** :–

   वैसे अभ्यर्थी/अधिवक्ता जो इस विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों पर विभागीय समिति द्वारा संवीक्षा (Scrutiny) के पश्चात् सरकार द्वारा अनुशंसित किये जायेंगें, को उपरोक्त नोटरी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियुक्ति शुल्क के रूप में रू0–1000/– का ट्रेजरी चालान जमा करना होगा तथा व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् ही नियुक्त नोटरी अपने क्षेत्र में व्यवसाय प्रारंभ कर सकेगें।

10. <u>अंतिम तिथिः</u>–

(क) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र विहित प्रपत्र [(Form-I & Form-II, Rule-4(2))] में भर कर विज्ञापन प्रकाशन के एक माह के अंदर अर्थात् दिनांक –**01.07.2024** से दिनांक–**30.07.2024** निश्चित रूप से संबंधित जिलें के न्यायायुक्त/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/न्यायालय या न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी के पास जमा करा दें। विधि विभाग में सीधे भेजे गये आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। न्यायायुक्त, राँची तथा सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पीठासीन पदाधिकारी प्राप्त सभी आवेदन, अन्तिम तिथि के पश्चात् तीन कार्यदिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगें।

(ख) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा विभाग इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा ।

21/06/24

(नलिन कुमार),
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी,
विधि विभाग, राँची।

*Substituted by GSR 460(E) dt. 26.6.2001

[13][FORM I

MEMORIAL

(Rule 4(2))

PHOTOGRAPH

1. Name of the applicant__________
2. Father's/Husband's name__________
3. Date of Birth __________
4. Whether SC/ST/OBC/General __________
5. Address(residence)__________

__________ E-mail__________

PIN__________ Telephone__________Fax__________

Address (office)__________

__________ PIN __________

Telephone__________Fax__________E-mail__________

6. Educational qualifications(Please attach photocopies )

__________(Please attach photocopies)

7. Enrolment (number & date)__________

8. Practising in __________

Civil side :__________

Criminal side :__________

Taxation :__________

Revenue courts :__________

9. Whether income tax assessee:

10. The memorial of (name of the applicant) (in block letters)

showeth__________

1. that the memorialist is a person eligible for appointment as a notary under the Notaries Act, 1952 and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956;

2. that the memorialist resides in__________(here state the name of the local area or name of court where he intends to practise) and will reside for upwards of__________(state how long);

3. that the number of notaries practising in the local area is insufficient for the requirements thereof (the grounds of the statement should be added);

4. that no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him, within the preceding six months;

The memorialist, therefore, prays that the government be pleased to appoint and admit him as a notary under and by virtue of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956 to practise in__________(here state the name of the local area).

Dated__________day of__________20____ Signature of the applicant

| Name and address of signatories | Profession | Name and address of the firm/organisation | Signature with Seal |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

Note: Under rule 4(3) the memorial should be countersigned by a Magistrate, a manager of a Nationalised Bank, a merchant and two prominent inhabitants of the area where he intends to practise as a notary.

FORM II

[*See* rule 4(2)]

Photograph

1. Name of the applicant..............................................................................
2. Father's/Husband's name.........................................................................
3. Date of Birth..........................................................................................
4. Whether SC/ST/OBC/General..................................................................
5. Address (Residence)..............................................................................

   Pin...................................................................................................

   Telephone..............................Fax...................................E-Mail..................................

   Address (Office)......................................................................................................

   Pin......................................................................................................................

   Telephone..............................Fax...................................E-Mail..................................
6. Educational Qualifications..........................................................................................
7. Date of joining Government service.............................................................................
8. Date of retirement.........................................................................................................
9. Post held at the time of retirement...............................................................................
10. Area, where the memorialist intends to practise as Notary............................................

Dated......................day of..................20...............

.......................................

Signature of the applicant

*Note.*—Necessary proofs about eligibility under rule 3(*b*) and (*c*) of the Notaries Rules, 1956 is to be attached. Rule 3(*b*) and (*c*) are as follows—

"3. *Qualifications for appointment as a notary.*—No person shall be eligible for appointment as a notary unless on the date of the application for such appointment,—

(*a*) ..........................................................................................................................

(*b*) he had been a member of the Indian Legal Service under the Central Government, or

(*c*) he had at least for ten years,—

(*i*) been a member of Judicial Service; or

(*ii*) held an office under the Central Government or a State Government requiring special knowledge of law after enrolment as an advocate; or

(*iii*) held an office in the Department of Judge Advocate General or in the legal department of an armed forces."]

38[FORM II-A